<u>विशेष संवाहक/स्पीड पोस्ट/ई-मेल द्वारा</u>

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

सं. 51/8/वीवीपीएटी/2017-ईएमएस दिनांक: 17 अक्तूबर, 2017

सेवा में
सभी राज्यों एवं संघ शासित क्षेत्रों
के मुख्य निर्वाचन अधिकारी।

विषय: प्रत्येक मतदान केन्द्र पर वीवीपीएटी का प्रयोग-प्रत्येक मतदान केन्द्र पर निर्वाचकों की अधिकतम संख्या-तत्संबंधी।

महोदय,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आयोग ने प्रत्येक मतदान केन्द्र पर सभी भावी निर्वाचनों में वीवीपीएटी का प्रयोग करने का निर्णय लिया है। इसके अतिरिक्त, वीवीपीएटी पेपर स्लिप के मुद्रण हेतु वीवीपीएटी में प्रयोग में लाए जाने वाला थर्मल पेपर रोल केवल लगभग 1500 पेपर स्लिप ही मुद्रित कर सकता है जिनमें से लगभग 100 पेपर स्लिप मतदान दिवस पर मतदान केन्द्र में मॉक-पोल और वीवीपीएटी को चालू करने की प्रक्रिया के दौरान ही मुद्रित हो जाती हैं। इन सब कारकों को ध्यान में रखते हुए, आयोग ने यह निदेश दिया है कि किसी भी मतदान केन्द्र के लिए नियत किए गए निर्वाचकों की अधिकतम संख्या 1400 से अधिक नहीं होगी।

अत: आपसे सभी ईआरओ को यह निदेश देने का अनुरोध है कि वे यह सुनिश्चित करें कि निर्वाचक नामावली के किसी भी भाग में निर्वाचकों की अधिकतम संख्या 1400 से अधिक नहीं होनी चाहिए, जहाँ कहीं भी मतदान केन्द्रों पर निर्वाचकों की संख्या 1400 से अधिक है, वहां एक सहायक मतदान केन्द्र बनाया जाएगा।

भवदीय,

(मधुसूदन गुप्ता)
अवर सचिव